...ायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला — टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :— 238/2024

निर्णय दिनांक :— 09.06.2025

उनवानी दावाः

1. जगदीश पुत्र धूलाराम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी इन्द्रपुरा हाल निवासी देवढाणी कुरासिया तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक नवसृजित जिला केकड़ी राज0
2. विनोद कुमार पुत्र चोथमल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी इन्द्रपुरा हाल निवासी देवढाणी कुरासिया तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक नवसृजित जिला केकड़ी राज0

—वादीगण—

बनाम

1. भानू चौहान पुत्र कन्हैयालाल जाति धोबी निवासी घोसी मोहल्ला देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. राजेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र लालचन्द वर्मा जाति रेगर निवासी ज्योती कॉलोनी, 0चा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा राज0
3. रोहितश्व ठागरिया पुत्र कैलाशचन्द वर्मा जाति रेगर निवासी पटेल नगर देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोक

—प्रतिवादीगण—

उपस्थिति :—
श्री सत्यनारायण धाकड़
अधिवक्ता वादीगण

श्री सागर चौहान
अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3

दावा बाबत् बंटवारा आराजीयात

पत्रावली वास्ते निर्णय/ अन्तिम डिक्री पेश हुई। पारित निर्णय इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 05.05.2025 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली में बाद बहस पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार देवली से कमांक 1855 दिनांक 20.05.25 प्राप्त होकर शामिल पत्रावली की गई।

अधिवक्ता उभयपक्ष ने कुर्रेजात रिपोर्ट कमांक 1855 दिनांक 20.05.25 का अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता वादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपति कर, पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट को मंगाने को प्रार्थना पत्र पेश किया।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने प्रा. पत्र पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट को मंगाने पर जवाब पेश किया।

बाद बहस प्रार्थना पत्र पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट को मंगाने को अस्वीकार/खारिज की गई।

पत्रावली कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस में नियत की गई।

पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट को अधिवक्ता वादी से अवलोकन करवाया गया। अधिवक्ता वादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट मौके पर जाकर सही नहीं बनायी है। ख. नं. 149

9.6.25

ख. नं. 4293/150 को संयुक्त रूप से मानकर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई है बकि दोनो खसरा नम्बर में सभी खातेदारान का हिस्सा अलग अलग करना चाहिए था। अतः कुर्रेजात रिपोर्ट अस्वीकार है। पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाई जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार जी द्वारा सभी पक्षकारान की उपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई है, कुर्रेजात रिपोर्ट पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर है और कुर्रेजात रिपोर्ट मौके पर काबिज व मौका स्थिति अनुसार तैयार की गई है। वादी उक्त विवादित कृषि भूमि पर बिना विभाजन व बिना सम्परिवर्तन के होटल चला रहा है, जिसका कि उसको कोई अधिकार नहीं है। अतः होटल के उपयोग में आ रही भूमि को सिवायचक दर्ज करना आवश्यक है। वादीगण भूमि पर हो वादीगण वाद को लम्बा चलाना चाहते है, जिसके कारण कुर्रेजात रिपोर्ट को सही नही बता रहे है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस में कुर्रेजात रिपार्ट पर बहस को मध्यनजर रखते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देवली द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम—1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये है। अतः प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री आदेश एतद् द्वारा पारित किया जाता है कि जमाबंदी सम्वत् 2075—78 वाके ग्राम पनवाड़ पटवार हल्का पनवाड़ भू. अभि.नि. देवली तहसील देवली के खाता संख्या 1007 खसरा नम्बर 4293/150 रकबा 0.2125 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.2125 है0 व खाता संख्या 542 ख. नं. 149 रकबा 0.41 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.41 है0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तद्नुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। ....

तहसीलदार देवली की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा ग्राम पनवाड़ पटवार हल्का पनवाड़ भू. अभि.नि. देवली तहसील देवली में निम्न प्रकार रहेगाः—

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1	जगदीश पुत्र धुलाराम हि. पूर्ण जाति मीणा सा. इन्द्रपुरा खातेदार नक्शा ट्रेस में गहरे नीले रंग से दर्शित	4293/150/1	0.1875	बा.—2	0.75
	कुल	किता 1	0.1875	—	0.75
2	विनोद कुमार पुत्र चौथमल हि. पूर्ण जाति मीणा सा. इन्द्रपुरा खातेदार गहरे गुलाबी रंग से दर्शित	4293/150/2	0.025	बा.—2	0.10
		149/1	0.1625	बा.—2	0.65
	कुल	किता 2	0.1875	—	0.75
3	भानू चौहान् पुत्र कन्हैयालाल हि. 1/3 जाति धोबी सा. घोसी मोहल्ला देवली खातेदार राजेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र लालचन्द वर्मा हि. 1/3 जाति रेगर सा. ज्योति	149/2	0.2475	बा.—2	0.99

9.6.25

कॉलोनी ऊंचा तह. जहाजपुर खातेदार रोहिताश्व ठागरिया पुत्र कैलाश चन्द वर्मा हि. 1/3 जाति रेगर सा. पटेल नगर देवली खातेदार नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शित				
कुल	किता 1	0.2475	–	0.99

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया ा है। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ ग्न रहेगी। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 09.06.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

देवली

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिकी

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

ो 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी...

..मुकाम देवली व अलजाम श्री मनोज कुमार मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली

टोंक ....

उनवानी दावाः

1. जगदीश पुत्र धूलाराम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी इन्द्रपुरा हाल निवासी देवढाणी कुरासिया तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक नवसृजित जिला केकड़ी राज0
2. विनोद कुमार पुत्र चोथमल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी इन्द्रपुरा हाल निवासी देवढाणी कुरासिया तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक नवसृजित जिला केकड़ी राज0

–वादीगण–

बनाम

1. भानू चौहान पुत्र कन्हैयालाल जाति धोबी निवासी घोसी मोहल्ला देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. राजेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र लालचन्द वर्मा जाति रेगर निवासी ज्योती कॉलोनी, ऊंचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा राज0
3. रोहितश्व ठागरिया पुत्र कैलाशचन्द वर्मा जाति रेगर निवासी पटेल नगर देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोक

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत् बंटवारा आराजीयात

मुकदमा नं. 238 सन् 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री मनोज कुमार मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री सत्यनारायण धाकड़ अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्री सागर चौहान विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि....

आदेश

तहसीलदार देवली द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये है। अतः प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री आदेश एतद् द्वारा पारित किया जाता है कि जमाबंदी सम्वत् 2075–78 वाके ग्राम पनवाड़ पटवार हल्का पनवाड़ भू. अभि.नि. देवली तहसील देवली के खाता संख्या 1007 खसरा नम्बर 4293/150 रकबा 0.2125 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.2125 है0 व खाता संख्या 542 ख. नं. 149 रकबा 0.41 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.41 है0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तद्नुसार अन्तिम डिकी जारी हो।

9.6.25

Scanned with OKEN Scanner

...सीलदार देवली की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा ग्राम पनवाड़ पटवार हल्का ...वाड़ भू. अभि.नि. देवली तहसील देवली में निम्न प्रकार रहेगाः–

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1	जगदीश पुत्र धुलाराम हि. पूर्ण जाति मीणा सा. इन्द्रपुरा खातेदार नक्शा ट्रेस में गहरे नीले रंग से दर्शित	4293/150/1	0.1875	बा.–2	0.75
	कुल	किता 1	0.1875	–	0.75
2	विनोद कुमार पुत्र चौथमल हि. पूर्ण जाति मीणा सा. इन्द्रपुरा खातेदार गहरे गुलाबी रंग से दर्शित	4293/150/2	0.025	बा.–2	0.10
		149/1	0.1625	बा.–2	0.65
	कुल	किता 2	0.1875	–	0.75
3	भानू चौहान पुत्र कन्हैयालाल हि. 1/3 जाति धोबी सा. घोसी मोहल्ला देवली खातेदार राजेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र लालचन्द वर्मा हि. 1/3 जाति रेगर सा. ज्योति कॉलोनी ऊंचा तह. जहाजपुर खातेदार रोहिताश्व ठागरिया पुत्र कैलाश चन्द वर्मा हि. 1/3 जाति रेगर सा. पटेल नगर देवली खातेदार नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शित	149/2	0.2475	बा.–2	0.99
	कुल	किता 1	0.2475	–	0.99

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी।

निजी...मुवलिक..बाबत् ....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 09 माह 06 सन् 2025 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

मुहर

ओहदा ....

उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)

मुददई	रू.	पै.	मुददायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अदालत		

9.6.25

Scanned with OKEN Scanner

ाक:– 09.06.2025

ाम्प वजह सबूत ताान वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजरायहुक्ममामा अन्य मिजान			मेहनतान वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजरायहुक्मनामा अन्य मिजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner